लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 18 अगस्त – आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर चण्डीगढ़ प्रशासन ने प्रत्येक मालिक/स्वामी/होटल मैनेजर/रेस्टोरेंट/गेस्ट हॉउस/सिनेमा/मल्टीपलैक्स को उनकी इमारतों में प्रवेश, निकास, रिसेपशन और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। कैमरों में लगभग 30 दिनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होनी चाहिए।

जिला मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश देश में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के कारण सख्त निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व यूटी चण्डीगढ़ के होटलों/रेस्टोरेंटों/गेस्ट हॉउसों/सिनेमों/मल्टीपलैक्सों में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु जारी किया है।

आदेश 20 अगस्त, 2010 से लागू होगा और 18 अक्टूबर, 2010 तक प्रभावी रहेगा।